फर्द अहकाम

सरकार बनाम मुकेश

नाम न्यायालय

केस संख्या 78/25

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
	10/7/25	पत्रावली पेश हुई बहस सुनी गई। पत्रावली के अवलोकन व बहस सुनने के आधार पर पाया कि [illegible] पत्र खारिज किया जाता है व विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर आज पत्रावली निर्णय पत्रावली फैसल शुदा [illegible] दाखिल दफ्तर [illegible] किया जाए (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कि0रेनवाल, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनीता मीणा R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :–78/24 दायर तारीख :– 29.08.2024

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कि0रेनवाल

प्रार्थी

बनाम

1. मुकेश कुमार शर्मा पुत्र बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राहमण
2. सुनील कुमार पुत्र धर्मचन्द जाति पाटनी
   समस्त निवासी रेनवाल तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज.

अप्रार्थीगण

उपस्थित : राज पेरोकार
अधिवक्ता श्री रामधन यादव, अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
निर्णय

निर्णय दिनांक : 18/07/25

1. राज पेरोकार तहसीलदार तहसील कि0रेनवाल ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि तहसील कि0रेनवाल के प0ह0 रेनवाल के ग्राम रेनवाल की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खं0नं0 1064/2 रकबा 2.8451 हैक्टर में से 2.4251 हैक्टर भूमि अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकोर्ड है। जो कृषि योजनार्थ भूमि है। पटवारी हल्का रेनवाल द्वारा भू राजस्व अधिनियम 196 की धारा 90 ए के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार खातेदारों द्वारा उक्त भूमि पर बिना सम्परिवर्तन कराये कॉलोनी काटकर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। खं0नं0 1064/2 रकबा 2.8451 हैक्टर में से 2.4251 हैक्टर भूमि पर बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कृषि से अकृषि उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के उल्लघंन का प्रकरण बनता है। खातेदार काश्तकार द्वारा हानिप्रद कार्य व शर्त भंग करने के कारण ग्राम रेनवाल की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खं0नं0 1064/2 रकबा 2.8451 हैक्टर में से 2.4251 हैक्टर भूमि को सिवाय चंक घोषित किया जावे तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जेंराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करावे।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रामधन यादव ने वकालतनामा पेश किया। मुकेश कुमार शर्मा की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश कर अपने जवाब प्रा0पत्र में अंकित किया कि आराजी खं0नं0 1064/2 रकबा 2.8451 हैक्टर वाकै ग्राम कि0रेनवाल में स्थित है जो मुकेश कुमार व सुनील कुमार के नाम 1/2, 1/2 हिस्से में राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि में किसी भी प्रकार का प्लाटिंग का कार्य नहीं किया जा रहा है तथा ग्रेल सड़क तो अपने खेत में आने जाने के रास्तें में बिछा रखी है अप्रार्थीगण द्वारा कोई भी अकृषि प्रयाजनार्थ कार्य नहीं किया जा रहा है ना ही पटवारी रिपोर्ट कोई निर्माण कार्य सम्बन्धित तथ्य अंकित किये गये है। पटवारी रिपोर्ट पर कही भी अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर नहीं है उक्त पटवारी रिपोर्ट अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में बनायी गई है इसलिए

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

कानूनन अमान्य है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार से अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है ओर ना ही धारा 177 का उल्लघंन किया जा रहा है अप्रार्थीगण अपनी भूमि को कृषि भूमि में ही उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है ना ही मौके पर कोई किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जा रहा है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरूद्व धारा 177 लागू नहीं होती है ओर ना ही वे धारा 177 के उल्लघंन के दोषी है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि अप्रार्थी के पक्ष में उक्त भूमि में से 1/2 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है तथा वे अपने हिस्सें की भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ ही काम में लेते आ रह है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिससे कि राज्य सरकार को अपूरणीय क्षति होती है क्योंकि भूमि खं0नं0 1064/2 में अप्रार्थीगण का 1/2, 1/2 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है इसलिए अप्रार्थीगण ने अपने 1/2, 1/2 हिस्से में कृषि कार्य करते हुये अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है इसलिए राज्य सरकार को कही भी अपूर्तनीय क्षति होगी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अप्राथ्रीगण के विरूद्व प्रस्तुत की गई धारा 177 रा0टी0ऐ0 की कार्यवाही को ड्रोप फरमाने की कृपा करे।

3. प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि मौका रिपोर्ट के अनुसार व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अप्रार्थीगण कृषि कार्य की भूमि को अकृषि में उपयोग में ले रहे है।

4. वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि आराजी खं0नं0 1064/2 रकबा 2.8451 हैक्टर वाकै ग्राम कि0रेनवाल में स्थित है जो मुकेश कुमार व सुनील कुमार के नाम 1/2, 1/2 हिस्से में राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि में किसी भी प्रकार का प्लाटिंग का कार्य नहीं किया जा रहा है तथा ग्रेल सड़क तो अपने खेत में आने जाने के रास्तें में बिछा रखी है अप्रार्थीगण द्वारा कोई भी अकृषि प्रयाजनार्थ कार्य नहीं किया जा रहा है ना ही पटवारी रिपोर्ट कोई निर्माण कार्य सम्बन्धित तथ्य अंकित किये गये है। पटवारी रिपोर्ट पर कही भी अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर नहीं है उक्त पटवारी रिपोर्ट अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में बनायी गई है इसलिए कानूनन अमान्य है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार से अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है ओर ना ही धारा 177 का उल्लघंन किया जा रहा है अप्रार्थीगण अपनी भूमि को कृषि भूमि में ही उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है ना ही मौके पर कोई किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जा रहा है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरूद्व धारा 177 लागू नहीं होती है ओर ना ही वे धारा 177 के उल्लघंन के दोषी है इसलिए प्रार्थी का प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा उक्त प्रकरण में विवादित आराजीयात पर बिना सम्परिवर्तन करवाये अकृषि कार्य प्रयोजन हेतु आराजी का उपयोग किया जाना अंकित किया गया है इसके विपरित अप्रार्थी ने अपने जवाब में

यह तथ्य अंकित किये है कि उक्त आराजीयात पर किसी प्रकार की कोई कॉलोनी विकसित नहीं की जा रही है ओर ना ही उक्त आराजीयात अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है। तहसीलदार कि0रेनवाल के द्वारा प्रकरण में जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है उसमें मात्र ग्रेवल सड़क बिछी होना अंकित किया है एवंम् मौके पर अन्य कोई निर्माण कार्य किये गये हो अथवा आराजी कॉलोनी के रूप में विकसित की गयी हो ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है ना ही उक्त मौका रिपोर्ट में मौके पर कितनी ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया है यह भी अंकित नहीं किया है जबकि अप्रार्थी के द्वारा जो प्रा0पत्र प्रस्तुत हुआ है उसमें अपनी कृषि कार्य के उपयोग में लेने के लिए रास्तें के रूप में ग्रेवल डालकर उक्त आराजी का उपयोग किया जा रहा है मौके पर किसी प्रकार की कोई कॉलोनी विकसित नहीं की गयी है ना ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थीगण द्वारा आराजी का उपयोग अकृषि कार्य के लिए किया जा रहा हो ऐसे में प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दूओं पर साबित ना होने पर अस्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दूओं पर साबित ना होने पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 18/07/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीता मीणा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
कि0रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
किशनगढ़-रेनवाल